वापस हो जाता है।

धान रोपनी करते किसान ● फाइल फोटो

रेरा से होगी घर खरीदारों के हितों की रक्षा : विवेक

जागरण संवाददाता, भागलपुर : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि अब सभी जिलों को एक पुस्तिका भेजी जाएगी। जिसमें उस जिले में निबंधित प्रोजेक्ट्स, निबंधित रियल एस्टेट एजेंट से संबधित सूचना होगी। उस जिले के आयोजना क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एवं प्रोजेक्ट्स एवं प्रोमोटर्स की रैंकिंग की सूचना होगी। इस कदम का उद्देश्य जिलों को विस्तृत सूचना प्रदान करना है ताकि वे रेरा कानून का उलंघन करने वाले अनिबंधित प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स एवं एजेंट्स की सूचना प्राधिकरण को दे सकें, ताकि उनपर कानूनी करवाई की जा सके। उक्त बातें उन्होंने समीक्षा भवन में आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों को यह सुविधा दी जाएगी कि किसी पीड़ित घर खरीदारों की शिकायत को रेरा बिहार के पोर्टल पर डालते हैं तो त्वरित कारवाई की जा सके। उन्होंने भागलपुर प्रमंडल के जिलों के जिला, पुलिस एवं एवं नगर निगम प्रशासन से आग्रह किया कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। फ्लैट-भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, को लागू किया गया है। इसलिए, जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं नगर निगम प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रेरा अधिनयम के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार कर सभी जिलों को भेजा गया है तथा यह आवश्यक है कि जिलों से रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाए, ताकि रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से कराया जा सके। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह, भागलपुर के आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार, भागलपुर के जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी, जिलाधिकारी बांका अंशुल कुमार, वरीय आरक्षी अधीक्षक हृदय कान्त, नवगछिया की आरक्षी अधीक्षक प्रेरणा कुमार, बांका के आरक्षी अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा, भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह के सहित भागलपुर एवं बांका 12 नगर निकायों के अधिकारियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि यह सभी को समझाना होगा कि रेरा कानून बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य है कि सभी हितधारकों के शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो सके। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्राधिकरण को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि घर खरीदारों की वास्तिवक समस्याएं क्या है, ताकि रेरा बिहार के विनियम को उसी हिसाब से बनाया जा सके। बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्राधिकरण का धन्यवाद दिया। आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जारी सभी लंबित वारंटों की सूची प्रदान करायी जाए, ताकि उनका निष्पादन हो सके। रेरा बिहार की एक टीम द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और रेरा बिहार के मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी गई।

रेरा अध्यक्ष का स्वागत करते जिलाधिकारी ● जागरण

राष्ट्रीय जागरण